


24.04.2024:-पत्रावली पेशी मे आई। वादी वकील उपस्थित नही आए।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया
कि पत्रावली मे अपेक्षित कार्यवाही नही की जा रही। प्रार्थी
व प्रार्थी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई।
आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन
उपस्थित नही आये। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित
नहीं आने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अदम पैरवी/अदम
हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम
की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।



सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानाढ

